वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

वित्तीय सेवाएं विभाग में मार्च 2024 के दौरान महत्वपूर्ण घटनाक्रम इस प्रकार हैं:-

i. माननीय प्रधानमंत्री ने 14 मार्च, 2024 को जेएलएम स्टेडियम, नई दिल्ली में 5000 स्ट्रीट वेंडर्स सहित पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स (एसवी) को ऋण संवितरित किया।

ii. माननीय वित्त मंत्री ने 5 मार्च, 2024 को माननीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज्य मंत्री श्री गिरीराज सिंह की उपस्थिति में सारण, बिहार में क्रेडिट आउटरिच कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित किया।

iii. माननीय वित्त मंत्री ने आईबीए तथा बैंक कर्मचारियों के संघों के बीच 12वें द्विपक्षीय समझौता/9वें संयुक्त नोट के भाग के रूप में वेतन/पेंशन को पुनर्निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा "अनापत्ति" जारी किये जाने को अनुमोदित किया। "अनापत्ति" त्याग पत्र देने वाले वैसे पेंशनधारकों को भी दी गई जो अन्यथा पेंशन योजना में अभिदान देने के लिए पात्र थे।

iv. केसीसी की संशोधित ब्याज सहायता योजना, एग्री इंफ्रा निधि तथा किसान ऋण पोर्टल, जन समर्थ पोर्टल जैसे विभिन्न ग्राहक इंटरफेस पोर्टल के संबंध में सचिव (वित्तीय सेवाएं विभाग) तथा सचिव (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय) द्वारा 15 मार्च 2024 को संयुक्त रूप से एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। नाबार्ड, आरबीआई तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था।

v. एनएआरसीएल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 41,611करोड़ रुपये के एक्जपोजर के साथ 15 खातों को ऑनबोर्ड किया ।

vi. वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा निवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग तथा आर्थिक कार्य विभाग के कर्मचारियों के लिए क्रमश: दिनांक 11.3.2024 तथा 13.3.2024 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया गया।

vii. वित्तीय सेवाएं विभाग ने मार्च 2024 माह में वरिष्ठ अधिकारियों के लाभार्थ डॉ. वी. अनंत नागेश्वरम, मुख्य आर्थिक सलाहकार तथा श्री टी. रवि शंकर, उप-गवर्नर आरबीआई के साथ दो अलग-अलग कार्यक्रमों में वार्ता का आयोजन किया।

viii. अन्य नियमित उपायों और महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का विवरण इसके साथ संलग्न है।

संलग्न: यथोक्त

वित्तीय सेवाएं विभाग के अन्य नियमित कार्यकलाप

1. प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत प्रगति :

योजनाएं	दिनांक 20.03.2024 की स्थिति के अनुसार उपलब्धियां (योजना को आरंभ किए जाने से लेकर)	वित्तीय वर्ष 2023-24 में वृद्धि (दिनांक 20.03.2024 की स्थिति के अनुसार)	मार्च, 2024 में वृद्धि (दिनांक 20.03.2024 तक)
प्रधानमंत्री जन धन योजना (**पीएमजेडीवाई**) ● पीएमजेडीवाई खातों की संख्या ● जमाराशि ● रूपे कार्ड की संख्या	51.99 करोड़ 2,29,908 करोड़ रूपये 35.40 करोड़	3.33 करोड़ 31,063.90 करोड़ रूपये 2.46 करोड़	5.5 लाख (-0.4 लाख ग्रामीण + 5.9 लाख शहरी) 7326.10 करोड़ रूपये 4.64 लाख
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (**पीएमएसबीवाई**) ● नामांकन ● संवितरित दावों की संख्या	43.69 करोड़ 1,33,736	9.91 करोड़ 18,442	40 लाख 2,335
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (**पीएमजेजेबीवाई**) ● नामांकन ● संवितरित दावों की संख्या	19.85 करोड़ 7,73,205	3.85 करोड़ 1,12,822	24 लाख 8,119
अटल पेंशन योजना (**एपीवाई**) (31.03.2024)	6.44 करोड़	1.23 करोड़	11.41 लाख

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

पीएमएमवाई	योजना को आरंभ किए जाने से लेकर (दिनांक 22.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार)		वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान (दिनांक 22.03.2024 तक)		मार्च, 2024 के दौरान (दिनांक 22.03.2024 तक)	
	खातों की संख्या (करोड़ में)	राशि (लाख करोड़ रुपए में)	खातों की संख्या (करोड़ में)	राशि (लाख करोड़ रुपए में)	खातों की संख्या (करोड़ में)	राशि (लाख करोड़ रुपए में)
शिशु	38.33	10.84	4.08	1.46	0.50	0.18
किशोर	8.36	11.09	2.26	2.52	0.37	0.35
तरूण	0.96	6.77	0.15	1.23	0.01	0.12
कुल	**47.65**	**28.70**	**6.49**	**5.21**	**0.88**	**0.65**
एससी/एसटी/ओबीसी (कुल सं. में शामिल)	23.97	10.03	3.05	1.86	0.25	0.15
महिलाएं (कुल में से)	32.42	12.80	4.17	2.21	0.67	0.37

स्टैण्ड अप इंडिया (एसयूआई)

एसयूआई	योजना को आरंभ किए जाने से लेकर (दिनांक 26.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार)		वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान (दिनांक 26.03.2024 तक)		मार्च, 2024 के दौरान (दिनांक 26.03.2024 तक)	
	खातों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	खातों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	खातों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)
अजा.	37,061	7,819.06	8,186	1,727.57	831	156.87
अजजा.	12,425	2,667.20	2,850	595.09	257	47.64
महिलाएं	1,74,716	40,053.43	25,864	5,852.09	1,490	371.28
कुल	**2,24,202**	**50,539.69**	**36,900**	**8,174.75**	**2,578**	**575.79**

2. **किसान क्रेडिट कार्ड विशेष परिपूर्णता अभियान:** किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के अंतर्गत पीएम-किसान लाभार्थियों, डेयरी किसानों और मछुआरों सहित किसानों को केसीसी के माध्यम से रियायती ऋण उपलब्ध कराया जाता है। बैंकों और अन्य हितधारकों द्वारा किसानों को किफायती ऋण प्रदान करने की दिशा में निरंतर और ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप, 29 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, 6,11,431 करोड़ रुपए की स्वीकृत ऋण सीमा के साथ केसीसी योजना के अंतर्गत 495.35 लाख किसानों (पशुपालन और डेयरी किसानों तथा मछुआरों सहित) को कवर करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। विगत वर्षों में केसीसी लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए कई अभियान चलाए गए हैं। 1 मई, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक के लिए इस अभियान फिर से शुरू किया गया है। 22 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, 2,40,633 शिविर लगाए गए हैं और इस विशेष साप्ताहिक अभियान के अंतर्गत कुल 31,39,754 केसीसी स्वीकृत किए गए हैं।

3. **कृषि के लिए ऋण प्रवाह:** वर्ष 2023-24 में कृषि ऋण का लक्ष्य 20.00 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। कुल लक्ष्य की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 29.02.2024 तक उपलब्धि 22.8 लाख करोड़ रुपये है, जो लक्ष्य का 114% है।

4. **अकाउंट एग्रीगेटर:** दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, 56 वित्तीय संस्थाओं (एफआई) ने वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) के रूप में, 313 एफआई ने वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआईयू) के रूप में तथा 91 एफआई ने एफआईपी तथा एफआईयू दोनों के रूप में कार्य करना आरंभ किया है। 2.12 बिलियन पात्र बैंक खातों (जिसमें 1.64 बिलियन बैंक खाते शामिल हैं) में से लगभग 66.05 मिलियन उपयोगकर्ताओं ने अपने खाते को एए ढांचे से संबद्ध किया है तथा ग्राहकों की सहमति से एए ढांचे के माध्यम से 74.01 मिलियन आंकड़े सफलतापूर्वक साझा किए गए हैं।

5. **पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि):** दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार 11,821.22 करोड़ रुपये की राशि के कुल 87.94 लाख ऋण आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 84.15 लाख ऋण आवेदनों में 11,264.48 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई है।

6. **खातों को आधार से जोड़ना:** दिनांक 22.3.2024 की स्थिति के अनुसार, 169.66 करोड़ कासा खातों में से 147.63 करोड़ खातों (87%) को आधार से जोड़ दिया गया है।

7. **पीएमजेडीवाई खाताधारकों का बीमा कवरेज:** पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत क्रमशः 6.23 करोड़ और 14.94 करोड़ पीएमजेडीवाई खाताधारकों का नामांकन किया गया है। इनमें से मार्च, 2024 (दिनांक 20.3.2024 तक) के दौरान पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत क्रमशः 4.14 लाख और 9.38 लाख पीएमजेडीवाई खाताधारकों का नामांकन किया गया है।

******